जल संवाद संयोजन समिति और **मंथन अध्ययन केन्द्र** द्वारा

नगरीय जलप्रदाय पर प्रादेशिक जल संवाद

पिपरिया (होशंगाबाद) 25 दिसंबर 2014

कार्यवृत्त

जल संवाद संयोजन समिति, पिपरिया और मंथन अध्ययन केन्द्र, बड़वानी द्वारा 25 दिसंबर 2014 को आयोजित प्रादेशिक जल संवाद में वक्ताओं ने प्रदेश में पानी के निजीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए जलप्रदाय को नगरीय निकायों की जिम्मेदारी बताया। संवाद में स्थानीय विधायक, नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष, दर्जनभर पार्षदों, विषय विशेषज्ञों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों तथा बुद्धिजीवियों ने हिस्सा लिया। चार सत्रों में आयोजित संवाद में पानी का अधिकार, संसाधनों और सेवाओं के निजीकरण, पानी संबंधी कानून, जल संसाधनों का संरक्षण, प्रदेश की सुधार आधारित जलप्रदाय योजनाएँ, प्रदेश में जल संसाधनों की स्थिति और अंतर्राज्यीय संधियॉं, अंतराष्ट्रीय स्तर पर जारी पुनर्निगमीकरण की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रत्येक सत्र के अंत में पैनल सदस्यों और चर्चा सत्र में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने अपने सवाल एवं प्रतिक्रियाएँ व्यक्त करते हुए सरकार द्वारा प्रदेश में प्रस्तावित की जा रही जलप्रदाय योजनाओं और पानी के निजीकरण पर चिंता जाहिर की। नागरिकों ने इन योजनाओं को नागरिकों के जल अधिकारों की दिशा में बाधक निरुपित करते हुए इस पर व्यापक विचार जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। इसके बाद नवचेतना स्कूल की बालिकाओं द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। अतिथि परिचय श्री गोपाल राठी ने करवाया।

विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्ता श्री राजेन्द्र हरदेनिया ने कहा कि पानी जीवन का अभिन्न अंग है और इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अन्न के बिना तो कुछ दिन जीवित रहा जा सकता है लेकिन पानी के बगैर ऐसा संभव नहीं हैं। हमारे समाज में प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता रहा है लेकिन अब परिस्थितियॉं बदल रही है। इस जीवनदायी प्राकृतिक संसाधनों पर देशी-विदेशी कंपनियों को एकाधिकार दिया जा रहा है ताकि इससे मुनाफा कमाया जा सके। हमारी नीतियॉं और जीवन शैली नदियों को मार रही है। संविधान में भी पानी को मौलिक अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने क्योटो (जापान) में वर्ष 2003 में आयोजित वर्ल्ड वाटर फोरम के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने वहॉं महसूस किया कि वैश्विक स्तर पर नीतियॉं तो पूँजीवादी देश और कार्पोरेट तय करते हैं हमारी सरकारें तो सिर्फ उन्हें लागू करती हैं। 8 करोड़ की जलप्रदाय योजना 24 करोड़ की हो गई। बढ़ाई गई लागत की राशि जनता की जेब से गई है। उन्होंने पिपरिया के नागरिकों से आव्हान किया कि वे चैतन्य रहें और जलप्रदाय योजना से संबंधित मुद्दों पर अच्छे से विचार करें ताकि कोई उन्हें सोते से न बेच सके।

प्रथम सत्र

शिक्षाविद् डॉ. अनिल सदगोपाल ने 19 वीं सदी से औद्योगिकीकरण का इतिहास मानव इतिहास की बहुत दु:खद रहा है। अमरीकी पूँजीपतियों ने लातिनी अमरीकी देशों में भारत से भी ज्यादा अत्याचार किए है।

अमेरिकी सेना द्वारा स्थानीय निवासियों का दमन कर पनामा नहर बनाई ताकि अद्योगों में तैयार माल सस्ते में यूरोप तक भेजकर अमेरिकी उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाया जा सके। उन्होंने उदाहरणों से सिद्ध किया कि निजी पूँजी वास्तव में निजी नहीं होती है। उद्योगपति अपने दम पर आगे नहीं बढ़ते बल्कि राजनैतिक गठजोड़ से सार्वजनिक धन को लूटकर वे आगे बढ़ते हैं। कंपनियों के फायदे के लिए पूँजीवादी देश किसी भी मामले में हस्तक्षेप को न्यायिक सिद्ध कर देते हैं। चाहे मध्य पूर्व के देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप हो या भारत में पेश किया हुआ मध्यान्ह भोजन देने की योजना हर जगह निजी कंपनियों के फायदा मुख्य मुद्दा रहा है। इराक में तेल संपदा पर नजर थी तो भारतीय स्कूलों के मध्यान्ह भोजन के 25 हजार करोड़ के बड़े बजट पर। उल्लेखनीय है कि स्कूल में बनाए जाने वाले ताजे मध्यान्ह भोजन को विटामिन और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी वाला बताकर यूनीलीवर, कारगिल, प्रोक्टर एण्ड गेंबल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फायदा पहुँचाने का प्रयास चल रहा है और बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन इसके पक्ष में माहौल बना रहा है। उन्होंने जन-निजी भागीदारी या पीपीपी का जनहित से कोई संबंध नहीं है वह तो सिर्फ निजी क्षेत्र को फायदा पहुँचाने का तिकड़म मात्र बताते हुए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पीपीपी को खत्म करें।

राजीव गॉधी जलग्रहण मिशन (मध्यप्रदेश) के पूर्व सलाहकार श्री के.जी. व्यास ने संवाद कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए बताया कि जब सरकारी योजनाओ के बारे में जनता जनार्दन के बीच विमर्श होगी तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने पानी पर समाज की मालिकी का इतिहास बताते हुए कहा कि मनुस्मृति में जलस्त्रोतों को गंदा करना और नष्ट करना अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मुगलिया दौर में इसे खुदा की नेमत बताते हुए इसे नुकसान पहुँचाने की मनाही थी। अंग्रेज इस देश में व्यापारी के रुप में आए। उन्होंने वे काम किए जिनसे पैसा मिलता था। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने कानून के माध्यम से देश के संसाधनों और सेवाओं को नियंत्रित किया। पानी को भी सरकार के अधीन घोषित कर दिया गया। नदियों से सीमित पानी लेने का अधिकार था तो नहरों से पानी लेने के नियम थे। अंग्रेजों ने नहरों और बॉधों में निवेश इसलिए किया कि उससे मुनाफा कमाया जा सके। हालांकि अंग्रेजों के बनाए कानून देश की आत्मा के अनुरुप नहीं थे लेकिन आजादी के बाद उन्हें ही ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिया गया। भारतीय संविधान में पानी को राज्य का विषय माना गया है लेकिन केन्द्र इसके बारे में नीति बना सकता है जो राज्यों के लिए मार्गदर्शी सिदधांत की तरह होती है। देश में 1987 में पहली जल नीति बनाई गई थी जिसमें 2002 और 2012 में बदलाव किए गए। इन नीतियों से सरकार ने अपनी भूमिका बदली है। जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए नियामक ढॉचे की वकालत की जा रही हैं। उनका विचार था कि पानी को लेकर चाहे जितने कानून बनें लेकिन हर गॉव-कस्बे के साथ हर प्राणी को उसकी जरुरत का पानी मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार में पानी का अधिकार अंतर्निहित है। उन्होंने नदियों प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि शास्त्रों में कलकल-छलछल बहने वाली धारा को नदी कहते हैं। प्रकृति ने नदी को महत्तवपूर्ण काम सौंपा है - प्रकृति और जीवन के लिए नुकसानदेह गंदगी की बरसात के दिनों में सफाई करना। इसलिए नदियों का कलकल-छलछल बहना जरुरी है।

पैनल सदस्य के रुप में टिप्पणी करते हुए श्री शलभ रॉय ने कहा कि सार्वजनिक पूँजी को कार्पोरेट घराने हथिया रहे हैं। श्री तुलाराम बसेन ने कहा कि पेयजल का व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए। हमारे जलस्त्रोत ही छीन लिए जाऍगें तो गरीब जनता पीने का पानी कहॉ से लाएगी। उन्होंने कहा कि जलस्वराज हमारा अधिकार है। श्री कमर एहमद में कहा कि देश में अनाज उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन गरीब को उपलबध नहीं है। पानी पर एकाधिकार के कारण अब हमें पानी भी राशन दुकान से लाईन में लगकर खरीदना पड़ेगा। उन्होंने सवाल

किया कि जब 2025 तक पिपरिया में पानी का संकट नहीं है तो फिर यहाँ जलप्रदाय योजना को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों है?

द्वितीय सत्र

मंथन अध्ययन केन्द्र के श्री रहमत ने बताया कि पिपरिया पानी के मामले में समृद्ध है और यहाँ तुरंत किसी योजना की आवश्यकता नहीं है। यूआईडीएसएसएमटी के तहत निर्माणाधीन पिपरिया की नई नर्मदा जल संवर्धन योजना के कारण कई सारे बदलाव करने होंगे। इससे न सिर्फ जल दरें बल्कि संपत्तिकर की दरें भी बढ़ाई जाएगी और मलनिकास कर भी लगाया जाएगा। सारे सार्वजनिक नलों को बंद कर दिया जाएगा और 4348 बीपीएल परिवारों सहित सभी को आवश्यक रुप से नगरपालिका के नल कनेक्शन दिए जायेंगें और अंतत: योजना का पीपीपी के तहत निजीकरण किया जाएगा। यूआईडीएसएसएमटी के तहत प्रदेश के 99 नगरों में 2367 करोड़ लागत की पानी से संबंधित 114 योजनाओं पर काम जारी है। पिपरिया में 22 बोरवेलों से रोजाना 45 लाख लीटर जलप्रदाय होता है जो नगर की 48,828 जनसंख्या के हिसाब से 87 लीटर/व्यक्ति/दिन होता है। नगर के 60 प्रतिशत इलाके में ही नगरपालिका की वितरण लाईनें है और यदि जलप्रदाय से नगर की इस 40 प्रतिशत आबादी (19531 जनसंख्या) को कम कर दिया जाए तो शेष 29,297 लोगों को रोजाना 148 लीटर जलप्रदाय हो रहा है जबकि सरकारी मानकों के अनुसार नगर की दैनिक जरुरत मात्र 26 लाख लीटर ही है।

नई जलप्रदाय योजना की लागत बढ़ाई जाना समझ से परे है। योजना का पहला डीपीआर जनवरी 2006 में बना था तब उसकी लागत 7 करोड़ 87 आंकी गई थी। जून 2011 में यही लागत बढ़ा कर 24 करोड़ 81 लाख कर दी गई। जबकि थोक मूल्य सूचकांक के आँकड़ों के अनुसार इस अवधि में महँगाई में वृद्धि मात्र 58 प्रतिशत हुई थी और योजना की लागत बढ़कर मात्र 12 करोड़ 47 लाख होनी थी लेकिन लागत में 12 करोड़ 34 लाख की अतिरिक्त वृद्धि कर दी गई। हालांकि अलग-अलग कारणों से योजना की लागत अभी भी बढ़ाई जा रही है और यह लागत 30 करोड़ तक जा सकती है।

योजना की सहमति के पूर्व नगरीय प्रशासन विभाग और नगरनिकाय के बीच होने वाला कानूनी अनुबंध (मेमोरण्डम ऑफ एग्रीमेंट या रिफार्म एजेण्डा) बहुत ही लापरवाही से तैयार किया गया है। ऐसा लगता है कि हस्ताक्षर करने के पूर्व इसे किसी ने पढ़ा भी नहीं। कॉपी-पेस्ट की गलती के कारण अनुबंध पहले बिन्दु से प्रारंभ होने के बजाय 91 वें बिंदु से शुरु होता है। इसके अलावा नगरीय निकाय विभाग से किसी भी अधिकार के हस्ताक्षर नहीं है। दूसरे पक्ष के रुप में केवल मुख्य नगरपालिका अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। दोनों गवाह भी पिपरिया नगरपालिका के कर्मचारी हैं।

रिफार्म एजेण्डा के अनुसार वर्ष 2010-11 में पिपरिया की जलप्रदाय व्यवस्था पर सालाना खर्च 82.3 लाख तथा वसूली मात्र 8.38 प्रतिशत यानी 6.90 लाख थी। बाद में 2011-12 और 2012-13 में प्रयास कर वसूली को बढ़ाकर एक तिहाई कर दिया गया था लेकिन 2013-14 में वसूली फिर से घटकर 16 प्रतिशत पर आ गई। यदि जलप्रदाय खर्च इतना ही रहे तथा शतप्रतिशत वसूली संभव हो सके तो भी यूआईडीएसएसएमटी की शर्त के अनुसार पूर्ण लागत वसूली हेतु जल दरों को 3-4 गुना बढ़ाना पड़ेगा। नई योजना का सालाना संचालन-संधारण खर्च ढाई करोड़ से कम नहीं होगा और उसके बाद तो जल दरों में कम से कम 7 गुना वृद्धि करनी पड़ेगी। इतनी वृद्धि की मार गरीब जनता कैसे सहेगी? इतनी बड़ी दरवृद्धि और उसकी वसूली नगरपालिका कैसे कर

पाएगी। स्पष्ट है कि जलप्रदाय योजना का निजीकरण करना होगा जो पिपरिया की आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनेगा।

नर्मदा जल संघर्ष समिति, खण्डवा के श्री तरुण मण्डलोई ने कहा कि बड़ी योजनाएँ कमीशन के चक्कर में बनाई जाती है। जितनी ज्यादा लागत होती है कमीशन भी उतना ही ज्यादा होता है। खण्डवा में पेयजल प्रदाय करने वाली निजी कंपनी **विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर्स** को खण्डवा के जलस्रोतों पर एकाधिकार दे दिया गया है। हमने इसके खिलाफ जनजागृति की। घर-घर जाकर जनमत सर्वेक्षण किया। अधिकांश लोगों ने पेयजल के निजीकरण को नकार दिया। इसके बाद सरकार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करनी पड़ी। समिति की रिपोर्ट में भी पेयजल का निजीकरण नहीं किए जाने की अनुशंसा करते हुए जलप्रदाय को नगरनिगम की ही जिम्मेदारी बताया। उन्होनें कहा कि इस चुनाव में पानी का निजीकरण प्रमुख मुद्दा रहा। चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रुप से स्वीकार करना पड़ा कि खण्डवा में पानी का निजीकरण नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनाव जीतने के बाद फिर से बोरवेल उखाड़ना करना प्रारंभ कर दिया था जिसे जनता ने रोका। इस संबंध में उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की है जिस पर न्यायालय ने जनता को राहत दी है। खण्डवा के ही श्री मनोहर शामनानी ने खण्डवा में पेयजल के निजीकरण के खिलाफ पिछले 7 वर्षों से जारी अभियान का ब्यौरा देते हुए पिपरिया की जनता को आगाह किया कि वे किसी झांसे में न आएँ तथा योजना को अच्छे से समझकर निर्णय लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कई बार बोल चुके हैं कि प्रदेश और खण्डवा में पानी का निजीकरण नहीं किया जाएगा। लेकिन खण्डवा में फिर से निजीकरण की अधिसूचना जारी कर दी गई थी जिसे जनदबाव में वापस लेना पड़ा।

शिवपुरी में पेयजल योजना के निजीकरण के बारे में श्री रहमत ने कहा कि वहाँ के जलप्रदाय का ठेका फ्रांसिसी बहुराष्ट्रीय कंपनी **वियोलिया** की सहयोगी **दोशियन लिमिटेड** को दिया गया है। योजना के तहत 40 किमी दूर मड़ीखेड़ा बॉध से पानी लाया जाएगा। कंपनी 80.71 करोड़ की योजना का निर्माण यूआईडीएसएसएमटी के तहत किया जा रहा है जिससे तहत 90 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। कंपनी योजना निर्माण कर 23 वर्षों तक उसका संचालन करेगी। कंपनी द्वारा प्रारंभिक जल दरें 15.40/किलोलीटर घोषित की है जो अत्याधिक है। बिजली दर, कच्चे पानी की रायल्टी अथवा पानी को प्रभावित करने वाले किसी अन्य घटक की कीमतों में वृद्धि होने पर कंपनी द्वारा जल दरें बढ़ाई जा सकती है।

अनुबंध की धारा 'नो परेलल कंपीटिंग फेसिलिटी' द्वारा कंपनी को शहर के जल पर एकाधिकार दे दिया गया है। कंपनी द्वारा जलप्रदाय शुरु करने के बाद नगरनिगम या प्रदेश सरकार को भी जलप्रदाय का अधिकार नहीं रह जाएगा। कंपनी के मुनाफे को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक और निजी जलस्रोतों पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। योजना शुरु होने पर जलप्रदाय का संचालन-संधारण खर्च 6-7 गुना बढ़ जाएगा जो जलदर बढ़ाकर नागरिकों से वसूला जाएगा। हालांकि कंपनी द्वारा अतिरिक्त 8 करोड़ की मॉग के साथ योजना का पिछले डेढ़ वर्षों से काम रोक दिया गया है।

पार्षद सदस्य के रुप में टिप्पणी करते हुए श्री गोपाल राठी ने कहा कि कंपनियाँ अब पानी का व्यापार करने लगी है। पिपरिया की योजना इतनी महँगी है कि संचालन खर्च की वसूली कठिन हो जाएगी और योजना का निजीकरण करना पड़ेगा। जिससे गरीब-मध्यम वर्ग दोनों को कठिनाई आएगी। श्री उम्मेदसिंह पटेल ने जल के व्यावसायीकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाने का आव्हान किया। श्री प्रकाश मण्डलोई ने पिपरिया की जनता को साधुवाद देते हुए कहा कि वह समय पर जागृत होकर विचार कर रही है। पिपरिया की

जलप्रदाय योजना योजना संविधान विरोधी, जनविरोधी और लूट के लिए बनाई गई करार देते हुए नगरपालिका से इसे रोकने की मॉग की। उन्होंने योजना को 35 साल के लिए प्रचारित किए जाने को हास्यास्पद बताते हुए कि जिम्मेदार लोग जनता की वर्तमान की तकलीफ तो समझ नहीं रहे हैं दूर भविष्य की तकलीफें कैसे समझेंगे।

तृतीय सत्र

तीसरे सत्र में श्री गौरव द्विवेदी ने कहा कि सरकार अपनी नीतियों में बदलाव कर व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है। नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ देने के बजाय उन्हें उपभोक्ता में बदला जा रहा है। जलप्रदाय व्यवस्था का भी निजीकरण हो रहा है। यह केवल अपने देश में ही हो रहा हो ऐसा नहीं है। दुनियाभर में ऐसा हो रहा है। कई उदाहरणों से प्रतीत होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी निजी कंपनियों की तरफदारी कर रहा है। हालांकि इंग्लैण्ड, फ्रांस आदि देशों में पानी का निजीकरण काफी पुराना है लेकिन अब कई देशों में अब जलप्रदाय व्यवस्था को निजी कंपनियों से छुड़ा कर नगरीय निकाय पुन: अपने हाथों में लिया जा रहा है। पेरिस की नगरपालिका ने निजी कंपनी के 45 वर्ष के अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया तथा जलप्रदाय अपने हाथ में ले लिया। इस प्रक्रिया को पुनर्निगमीकरण या रिम्युनिसिपलाईजेशन कहा जा रहा है। इस समय कई नगरीय निकायों में पुनर्निगमीकरण की प्रक्रिया या तो जारी है या पूर्ण हो चुकी है। पेरिस, बर्लिन, दारेसलाम (तंजानिया) कुआ लालम्पुर (मलेशिया), अकरा (घाना) ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना), लापाज (बोलिविया) में पुनर्निगमीकरण हो चुका है जबकि नागपुर (महाराष्ट्र), खण्डवा (मध्यप्रदेश), जकार्ता (इंडोनेशिया), बार्सिलोना (स्पेन), सोफिया (बुल्गारिया) आदि स्थानों पर इसके लिए अभियान जारी है।

वरिष्ठ पत्रकार श्री रवीन्द्र शुक्ला ने कहा कि प्रकृति में पानी एक निश्चित मात्रा में ही उपलब्ध है। औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण में प्रतिस्पर्द्धा चल रही है लेकिन विकास की अंधी दौड़ में इसके मितव्ययी उपयोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है लेकिन यह ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उन्हें पानी कहॉ से देंगे। इसलिए सबसे पहली जरुरत यह है कि हम पहले यह तय कर लें कि हम जिस तरह का विकास करना चाहते हैं उसके लिए पानी उपलब्धता है या नहीं। उन्होंने सवाल किया कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जो पानी छोड़ रहे हैं क्या वे पर्याप्त हैं। विकास की कोई अवधारणा दिखाई नहीं देती है।

पानी का उपयोग जरुरत के मान से मुख्यत: 4 मदों में आकलित किया जाता है। ये चार उपयोग हैं - घरेलू, कृषि, औद्योगिक और पर्यावरणीय जरुरत। इन चारों घटकों के लिए कितना और किस प्रकार पानी लगने वाला है इसका विस्तृत अध्ययन कर मैंने मध्यप्रदेश प्रदेश में अगले 20 वर्षों के जल प्रबंधन परिदृश्य पर एक पुस्तक **'वाटर मैनेजमेंट इन सेंट्रल इंडिया: 20 ईयर पर्सपेक्टिव'** लिखी है।

मध्यप्रदेश से 10 बड़ी नदियॉं निकलती है और यहॉं पानी का वैसा संकट नहीं है। अंतर्राज्यीय समझौतों के बाद राज्य के लिए 56 अरब घनमीटर (बीसीएम) पानी उपलब्ध है। यदि जल उपयोग का यही तरीका जारी रहा तो अगले 20 वर्षों में या वर्ष 2031 तक मध्यप्रदेश पानी के घाटे की स्थिति वाला राज्य हो जाएगा। यह घाटा उपलब्धता के मान से जरुरत की गणना करने पर करीब 2 अरब घन मीटर (बीसीएम) तक हो सकता है। उन्होंने योजनाओं को विकेन्द्रित रुप से तैयार किए जाने की वकालत की।

पैनल सदस्य के रूप में टिप्पणी करते हुए श्रीगोपाल गांगूड़ा ने कहा कि हमारी लड़ाई नगरपालिका या किसी व्यक्ति के खिलाफ न होकर उस ताकतवर व्यवस्था के खिलाफ है जो नागरिकों पर ऐसी योजनाएँ थोप रही

है। निजीकरण के खिलाफ लड़ाई सत्ता से सीधा संघर्ष है। आज का संवाद तो सिर्फ शुरुआत है। अब तो लम्बी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा।

समापन सत्र

चर्चा एवं रणनीति हेतु खुले सत्र में **सर्वश्री किशोर डाबर** ने जलस्रोतों के प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए नागरिकों का आह्वान किया कि पूजन सामग्री को जलस्रोतों के बजाय जमीन में विसर्जित किया जाना चाहिए। **अवधेश शर्मा** ने कहा कि इस योजना पर व्यापक विचार कर आने वाले संकट को टाला जा सकता है। **श्रीगोपाल गांगूड़ा** ने कहा कि उपयोग किए गए फलों के बीजों को बचाकर बारिश के दौरान नर्मदा के किनारे या उचित स्थान पर बिखेर देना चाहिए ताकि हरियाली बढ़े एवं जल संरक्षण हो। **गोपाल राठी** ने कहा कि ऐसी योजनाएँ दिल्ली-भोपाल में बनती हैं और इसकी कीमत चुकाने वाले नागरिकों की राय नहीं ली जाती है। **तरुण मण्डलोई** ने मोहल्ला समितियों के गठन को प्राथमिकता देने पर बल दिया। **कमर एहमद** ने दूर के स्रोत से जलप्रदाय करने के औचित्य पर सवाल उठाया। **लक्ष्मण पटेल** ने कहा कि इस संवाद से आगे बढ़कर स्पष्ट रणनीति बनाकर लड़ाई लडने की जरुरत है। प्रकाश मण्डलोई ने जनसमुदाय से आग्रह किया कि गलत ऑकड़ों के माध्यम से नागरिकों पर अनावश्यक योजना थोपने वालों, परसेंटेज के चक्कर में लागत बढ़ाने वालों और टेंडर हो जाने के बाद भी लगातार योजना लागत बढ़ाते रहने वालों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना तलाशी जानी चाहिए।

सर्वश्री संजीव दुबे ने उपस्थित जनसमुदाय से मुखातिब होते हुए कहा कि जो गर्मजोशी आज देखी जा रही है यदि वही कुछ वर्ष पहले दिखाई जाती तो यह योजना हम पर थोपी नहीं जाती। **कमर एहमद** ने सार्वजनिक जलस्रोतों पर निजी कंपनियों के आधिपत्य पर चिंता जताते हुए नगर के प्रबुद्ध वर्ग की एक समिति गठित करने का सुझाव दिया ताकि ऐसे खतरों का सामना किया जा सके। **श्रीगोपाल गांगुड़ा** ने मोहल्ला स्तर तक जनजागरण का सुझाव दिया। **ओमप्रकाश सोनी** ने बिजली-पानी जैसे संसाधनों की बर्बादी रोकने का प्रयास करने का सुझाव दिया। यदि हम पानी का संरक्षण करने लगें तो अगले 100 सालों तक पानी की कमी नहीं होगी। **कैलाश सराठे** ने प्रादेशिक जल संवाद को एक शुरुआत बताते हुए कहा कि इसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलते हैं। तुलाराम बसेन ने कहा कि पिपरिया की जलप्रदाय योजना के बारे में जानकर महसूस हुआ कि शहर को मुर्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए लिए जागरुक बनने की सख्त जरुरत है। **श्रीकृष्ण शर्मा** ने अच्छे काम की शुरुआत खुद से करने की बात की। **राजन गोदानी** ने पिपरिया की स्थिति भी खण्डवा की तरह होने से रोकने पर बल दिया। पार्षद **हरीष बसेन** ने कम खर्च में इस योजना के संचालन का तरीका खोजने का प्रयास करने की बात कही।

सत्रावसान पर पैनल सदस्य श्री राजेन्द्र हरदेनिया ने जनविरोधी नीति-कानूनों पर टिप्पणी करते हुए करते हुए कहा कि वर्तमान में तो किसान अपने कुएँ से निःशुल्क पानी ले सकता है लेकिन आगे ऐसा करना संभव नहीं हो पाएगा। सारा पानी सरकार का हो जाएगा। बिजली की सब्सिडी खत्म हो जाएगी। सरकार नागरिक सेवाओं से पल्ला झाड़ लेगी।

सत्र में हुई चर्चा का सार प्रस्तत करते हुए श्री अवधेश शर्मा ने कहा कि आज के संवाद से शासकीय पाखण्ड उजागर हुए हैं। भयावह सच्चाई का पर्दाफाश हुआ हैं। यह चिंता का विषय है कि हमारे जलस्रोत हमारे नियंत्रण में नहीं रहे। इन पर नागरिकों का नियंत्रण कायम करने के लिए संघर्ष जरुरी है। संसाधनों को समाज के

अधिकार में रखने के लिए गॉंधीजी द्वारा बताया गया रास्ता व्यवहार में लाऍं। इस संबंध में नगर पालिका से संवाद करेंताकि लोगों पर भार कम पड़े।

कार्यक्रम के अंत में नर्मदा सफाई अभियान में लगे साण्डिया के श्री रामजी दीक्षित और नन्हेलाल सोनी, बीजनवाड़ा के श्री बलराम पटेल और गाड़ाघाट के दिलीपसिंह पटेल का सम्मान किया गया।

प्रादेशिक जल संवाद सहभागियों और संवाद को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का आभार श्री ओमप्रकाश भार्गव ने माना। संवाद कार्यक्रम हेतु निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए **'आनंद भूमि' हाल** के लिए डॉ व्यास के प्रति विशेष रुप से आभार प्रकट किया गया।

कार्यक्रम का समयबद्ध संचालन श्री किशोर डाबर ने किया।

न्जन्जन्जन्जन्जन्जन्जन्ज